

कार्यालय जाप

प्रदेश में दशमोत्तर कक्षाओं में सामान्य वर्ग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्यालय जाप संख्या-221/2019/4119/26-3-2019-रिट(23)/2011 दिनांक 14.10.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली-2019 (अष्टम संशोधन) जारी की गयी थी। प्रश्नगत नियमावली में अन्य कतिपय संशोधनों को सम्मिलित करते हुए नियमावली संशोधित की गयी है। निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-2381/स0क0/शिक्षा-अ/3/154-2/2023-24 दिनांक 09.08.2023 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निम्नानुसार उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली (नवम संशोधन)- 2023 निर्गत की जाती है:-

उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवम संशोधन) नियमावली-2023

क्र. शीर्षक
सं.

नियम

1- नाम

यह नियमावली उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवम संशोधन) नियमावली-2023 कहलायेगी।

2- उद्देश्य

मैट्रिकोत्तर या सेकेन्ड्री (केवल माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से उत्तीर्ण) के बाद की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्रदान करना है।

3- प्रसार/विस्तार

इस नियमावली से वे छात्र/छात्राएँ आच्छादित होंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी/मूल निवासी हों।

4- प्रारम्भ होने की तिथि

इस नियमावली के प्राविधान 2023-24 शिक्षण सत्र से लागू होंगे।

5- परिभाषा

(i) राज्य सरकार

"राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(ii) अभ्यर्थी

"अभ्यर्थी" का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो।

(iii) निदेशालय

"निदेशालय" का तात्पर्य समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश से है।

(iv) निदेशक

"निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश से है।

(v) वित्त नियन्त्रक

"वित्त नियन्त्रक" का तात्पर्य समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के वित्त नियन्त्रक से है।

(vi) नोडल अधिकारी

"नोडल अधिकारी" का तात्पर्य निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नामित दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के योजनाधिकारी से है।

(vii) राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार

"राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार" का तात्पर्य जवाहर भवन, लखनऊ स्थित कोषागार से है।

(viii) शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रम

"शिक्षण संस्था" का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित अथवा सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त संस्थान से है व "पाठ्यक्रम" का तात्पर्य सम्बन्धित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संचालित व सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम से है।

21/9/23

(ix) सामान्य वर्ग

"सामान्य वर्ग" का तात्पर्य उन जाति समूहों से है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों के अन्तर्गत न आते हों। अल्पसंख्यक श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादित होंगे।

(x) शैक्षणिक सत्र

"शैक्षणिक सत्र" का तात्पर्य कक्षा 11-12 में प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक तथा अन्य उच्चतर कक्षाओं हेतु 01 जुलाई से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 30 जून तक के शिक्षण सत्र से है।

(xi) छात्रवृत्ति का मूल्य

सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित देय धनराशियाँ सम्मिलित होगी:-

(क) शैक्षणिक भत्ता (परिशिष्ट संलग्न)

(ख) अनिवार्य वापस न होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति

(ग) अध्ययन दौरा खर्च

(घ) शोध कार्य का टंकण/मुद्रण खर्च

(च) विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता।

(xii) शुल्क

(क) "शुल्क" का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेशपंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हों, शामिल होगी। छात्रावास/मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।

नोट:-1 राजकीय व निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में एक पाठ्यक्रम में एक ही बार में सम्पूर्ण शुल्क की अनुमानित समस्त धनराशि भुगतान किये जाने पर छात्र/ छात्राएं इस योजना में अपात्र होंगे।

नोट:-2 किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में प्रबन्धकीय कोटा सीट, स्पॉट (spot) प्रवेश सीट के सापेक्ष प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा दावा किये गये शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।

नोट:-3 शिक्षण संस्थानों/पाठ्यक्रमों में एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित मैनेजमेन्ट कोटा के अतिरिक्त जिन निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक/ तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदित छात्रों से इतर बिना काउन्सिलिंग के सीधे शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश दिये गये छात्र मैनेजमेन्ट कोटा से आच्छादित होंगे।

(ख) जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम शिक्षा विभाग/फीस नियमन समिति को है, उन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा समूह-1 में ₹0- 50,000/-, समूह-2 में ₹0 30,000/-, समूह-3 में ₹0 20,000/- व समूह-4 में ₹0 10,000/- में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(ग) जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति अधिनियम के तहत स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रदेश में स्थित राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित इसी प्रकार के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में निर्धारित अधिकतम शुल्क (राज्य विश्वविद्यालयों में सम्बन्धित पाठ्यक्रम संचालित न होने की दशा में निजी क्षेत्र के समस्त विश्वविद्यालयों में संचालित उसी प्रकार के पाठ्यक्रमों में निर्धारित प्रदेश में न्यूनतम शुल्क) अथवा संस्था द्वारा छात्रों से ली जाने वाली शुल्क अथवा आनलाइन आवेदन में छात्र द्वारा भरी गयी शुल्क जिसे शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रसारित किया गया है अथवा समूह-1 में ₹0-50,000/-, समूह-2 में ₹0 30,000/-, समूह-3 में ₹0 20,000/- व समूह-4 में ₹0 10,000/- में से जो भी न्यूनतम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(घ) प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध जिन निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क सम्बन्धित शिक्षा विभाग उOप्रO सरकार अथवा राज्य सरकार की फीस नियमन समिति (यदि गठित है) स्तर से निर्धारित नहीं हैं ऐसे सम्बद्ध/सहयुक्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में उसी प्रकार के नियमित पाठ्यक्रम में प्रदेश में न्यूनतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से जमा करायी गयी वास्तविक शुल्क अथवा समूह-1 में ₹0-50,000/-, समूह-2 में ₹0 30,000/-, समूह-3 में ₹0 20,000/- व समूह-4 में ₹0 10,000/- में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

6- अर्हता

छात्रवृत्ति हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पात्र होंगे:-

(i) केवल वे ही अभ्यर्थी इसके पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हों अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी हों एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट सामान्य वर्ग से सम्बन्धित हों और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेण्ड्री या इससे कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथापि:-

(अ) निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु

राज्य

न्यूनतम योग्यता स्नातक है, के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 55 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले तथा ऐसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता कक्षा-12 अर्थात इण्टरमीडिएट है, के अन्तर्गत कक्षा-12 अर्थात इण्टरमीडिएट में न्यूनतम 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले, किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित छात्र/छात्रायें छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे।

(ब) आनलाइन आवेदन पत्र में कोई डाटा/ विवरण, त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/संदिग्ध अंकित करने पर छात्र/छात्रा को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।

(ii) यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त दशमोत्तर या सेकेण्ड्री के बाद पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये दी जायेगी।

क- विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रम।

ख- निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रम।

ग- ट्रेनिंगशीप डफरिन (अब राजेन्द्रा) के पाठ्यक्रम।

घ- सैनिक महाविद्यालय, देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

च- अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम।

छ- पत्राचार पाठ्यक्रम एवं सुदूर व अनुवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम।

ज- निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जिनको किसी विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग बाडी/सक्षम विभाग स्तर से सर्टिफिकेट/अंकपत्र प्रदान नहीं किये जाते हैं तथा सक्षम स्तर से परीक्षा आयोजन हेतु एजेंसी अधिकृत न हो अर्थात ऐसे पाठ्यक्रम जो किसी सक्षम स्तर से नियंत्रित नहीं किये जाते हैं।

झ- अन्य प्रदेश के विश्वविद्यालय/सक्षम स्तर से सम्बद्धता प्राप्त प्रदेश में स्थित निजी शिक्षण संस्थान, जिनकी नियंत्रक बाडी व परीक्षा एजेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं है, के छात्र/छात्रायें छात्रवृत्ति हेतु अर्ह होंगे।

(iii) ऐसे अभ्यर्थी, जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो।

(iv) सर्टिफिकेट लेवल, स्नातक पूर्व डिप्लोमा लेवल, स्नातक पश्चात डिप्लोमा लेवल, स्नातक लेवल, स्नातक पश्चात स्नातक लेवल, परास्नातक लेवल, परास्नातक के पश्चात रिसर्च लेवल एवं डाक्टरेट लेवल के अन्तर्गत केवल दो पाठ्यक्रम क्रमशः एक प्रोफेशनल व एक नॉन प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी। शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु छात्र का सभी पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण/प्रोन्नत होना अनिवार्य होगा।

(v) यदि विद्यार्थी इन्टर्नशिप अवधि के दौरान कुछ पारिश्रमिक अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता या वजीफा पा रहे हैं तो एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप/हाऊस मैनेजिप की अवधि के लिए अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(vi) चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र होंगे, यदि उनके पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति न दी गयी हो।

(vii) किसी भी मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या इससे ऊपर के पाठ्यक्रम में सरकारी वृत्तिका (स्टाइपेन्ड) अथवा फेलोशिप पाने वाले छात्र/ छात्राएं इसके लिए अर्ह नहीं होंगे।

(viii) उन रोजगार प्राप्त छात्रों को सभी अनिवार्य रूप से देय वापस न किये जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए पात्र बनाया गया है, जिनकी स्वयं की व उनके माता-पिता अथवा संरक्षकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम निर्धारित वार्षिक आय सीमा से अधिक न हो।

(ix) एक ही माता-पिता अथवा संरक्षक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(x) इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा नहीं लेगा। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्रदान किया गया हो तो छात्र उक्त दोनों छात्रवृत्ति/वजीफा में से किसी एक के लिए जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे सकता है और दिये गये विकल्प के बारे में सूचना संस्था प्रमुख के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारी को देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उस तारीख से, जिससे वह दूसरी छात्रवृत्ति/वजीफा स्वीकार करता/करती है, इस योजना के अधीन किसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा तथापि, छात्र राज्य सरकार से या किसी अन्य स्रोत से पुस्तकें, उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है।

(xi) वे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता, जो केन्द्र/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ किसी परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, कोचिंग कार्यक्रम की अवधि के लिए कोचिंग योजनाओं के अन्तर्गत वजीफे के पात्र नहीं होंगे।

(xii) जब तक माता पिता में से कोई एक (अथवा विवाहित बेराजगार के मामले में पति) जीवित हैं, तब तक माता-पिता/पति जैसी भी स्थिति हो, की सभी स्रोतों से प्राप्त आय को ही लिया जायेगा, न कि अन्य सदस्यों की आय को, चाहे वह कमाने वाले ही क्यों न हों। आय घोषणा प्रपत्र में इसी आधार पर आय की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस मामले में जब माता-पिता दोनों (अथवा विवाहित किन्तु बेरोजगार मामले में पति) की मृत्यु हो जाती है तो उस संरक्षक की आय को लेना होगा, जो विद्यार्थी की पढाई में सहायता कर रहा है। ऐसे छात्र जिनके माता-पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय-सीमा में आ जाती है तो ऐसी दुःखद घटना होने वाले महीने से वह छात्रवृत्ति का पात्र बन जायेगा, बशर्त वह छात्रवृत्ति की अन्य शर्त पूरी करता हो, ऐसे छात्रों से छात्रवृत्तियों के लिए

राजेश्वरी

आवेदन पर अनुकम्पा के आधार पर, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को समाप्त होने के पश्चात भी विचार किया जा सकता है

(xiii) यदि कोई छात्र विगत वर्ष में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के उपरांत पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष से नये छात्र के रूप में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। यदि छात्र किसी अखिल भारतीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर रैंकिंग के आधार पर नॉन प्रोफेशनल पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उपरांत अधूरा छोड़कर उच्च स्तर के प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो जिला समाज कल्याण अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक समाज कल्याण द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में नवीन पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा।

(xiv) शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थित वाले छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। समस्त शिक्षण संस्थाओं में छात्र/छात्राओं की प्रतिदिन उपस्थिति की गणना आधार बेस बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली/फेशियल रिकग्निशन प्रणाली (भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर) द्वारा की जायेगी। इस सम्बन्ध में समस्त शिक्षण संस्थानों में आधार बेस बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली/फेशियल रिकग्निशन प्रणाली की व्यवस्था करके प्रत्येक माह प्रमाणित उपस्थिति को यथास्थान छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। इसमें प्रत्येक छात्र पर होने वाले व्ययभार का वहन सम्बन्धित शिक्षण संस्था/ विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष से दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से संलग्न परिशिष्ट में निर्धारित विश्वविद्यालय व एफिलियेटिंग एजेंसी से सम्बद्ध शिक्षण संस्थानों में आधार बेस बायोमैट्रिक अटेंडेंस प्रणाली की व्यवस्था की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 से आधार बेस बायोमैट्रिक अटेंडेंस प्रणाली को लागू नहीं करने वाले शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों के छात्रों को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो ऐसे छात्र छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होंगे तथा छात्र को यदि धनराशि भुगतान हुयी है तो भुगतानित धनराशि छात्र अथवा संस्था द्वारा वापस करनी होगी।

(xv) यदि छात्र/छात्रा किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रह कर आनलाइन आवेदन करता है और धनराशि प्राप्त होती है किन्तु अगले वर्ष नवीनीकरण का आवेदन नहीं किया जाता है तो भुगतान की गयी धनराशि को संस्था द्वारा छात्र से प्राप्त कर विभाग को वापस करनी होगी।

किसी छात्र का एरियर आगामी वर्ष में भुगतान किये जाने से पूर्व यह देखा जायेगा कि छात्र द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में नवीनीकरण का आनलाइन आवेदन किया गया अथवा नहीं किया गया है अर्थात् उसने उस पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखा गया अथवा छोड़ दिया गया है। यदि अध्ययन को छोड़ दिया गया है तो सम्बन्धित छात्र को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क की एरियर की धनराशि अनुमन्य नहीं होगी तथा उस पाठ्यक्रम में विगत वर्ष की धनराशि वापस करनी होगी।

(xvi) शिक्षा सत्र के अन्तर्गत नवीनीकरण के सम्बन्ध में शिक्षण संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुरक्षण भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने वाले नवीन छात्रों के सापेक्ष कम से कम 50 प्रतिशत छात्र नवीनीकरण का आवेदन करें। यदि 50 प्रतिशत से कम नवीनीकरण का आवेदन किया जाता है तो शिक्षण संस्था को वैध कारण बताने होंगे। वैध कारण के अन्तर्गत बाढ़/सूखा/अनदेखी घटनाएं/कानून व्यवस्था आदि सम्मिलित होंगे। वैध कारण न बता पाने की स्थिति में नवीनीकरण न करने वाले छात्रों की धनराशि संस्था को वापस करनी होगी तथा नवप्रवेशित छात्रों के लिए संस्था छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अनर्ह होगी। संस्था में नवप्रवेशित छात्रों में से अगले वर्ष यदि 50 प्रतिशत से अधिक छात्रों द्वारा नवीनीकरण किया जाता है तो संस्था व छात्र छात्रवृत्ति हेतु अर्ह होंगे।

(xvii) (क) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केन्द्र/राज्य/निजी/डीम्ड आदि सभी विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं को NAAC (National Assessment & Accreditation Council- and Autonomous Institution of the University Grant Commission) से वर्ष 2024 तक ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 से उक्तानुसार ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ख) समस्त शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024 तक NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 शिक्षण सत्र से NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(xviii) आई0टी0आई0 पाठ्यक्रम अथवा ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल निर्धारित है, के अन्तर्गत हाईस्कूल उत्तीर्ण करने के 06 वर्ष के अन्दर निजी क्षेत्र के संस्थानों में उक्त प्रकार के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अधिकतम 40 वर्ष आयु की सीमा तक शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। आयु की गणना प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई को की जायेगी। रिसर्च एवं डाक्टरेट लेवल के पाठ्यक्रम में उक्त नियम प्रभावी नहीं होंगे।

(xix) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों आदि का डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ से सत्यापन एवं विभागाध्यक्ष, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से संस्तुति प्राप्त संस्थानों को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

राज्य सरकार

7- **मूल निवास का अनुमन्य साक्ष्य-**

प्रदेश के अन्दर दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ सामान्य निवास प्रमाण पत्र (जो प्रवेश की तिथि से 05 वर्ष से अधिक पुराना न हो) संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो आवेदक के निवास की तहसील के उपजिलाधिकारी के स्तर से जारी किया गया हो एवं राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध हो।

8- **माता-पिता/ अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में अनुमन्य साक्ष्य-**

(i) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, की समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो, मान्य होगा। यदि किसी भी प्रकार की जांच में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के माता-पिता/पति/संरक्षक नौकरी में हैं तथा उनके द्वारा अर्जित आय उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं हैं तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ii) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, द्वारा लिये जाने वाले मकान किराये भत्ते को "आय" में शामिल नहीं किया जायेगा, यदि इसे आयकर के प्रयोजन के लिए छूट की अनुमति दी गयी हो।

(iii) आय प्रमाण-पत्र केवल एक बार अर्थात् एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय ही लिया जायेगा अर्थात् एक वर्ष से अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आय प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता न होगी। परन्तु यदि नये पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाता है तो पुनः आय प्रमाण-पत्र देना होगा।

(iv) जमा किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र की वैधता उस शैक्षणिक सत्र/वर्ष की पहली जुलाई को अवधारित की जायेगी।

9- **मास्टर डाटाबेस एवं संस्थाओं का पंजीकरण तथा कोर्स मास्टर-**

(i) प्रदेश के समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों तथा प्रदेश के बाहर के समस्त शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा- शिक्षण संस्थान का नाम, संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या, वार्षिक शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क आदि निर्धारित प्रारूप पर स्वयं आनलाइन भरकर "मास्टर डाटाबेस" में प्रत्येक वर्ष निर्धारित तिथि तक सम्मिलित होना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्थान स्वयं उपरोक्त अवधि में मास्टर डाटाबेस में नये पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेंगे एवं असंचालित पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेंगे। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों (सी0पी0एल0 पाठ्यक्रम एवं संस्थान को छाड़कर) में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। संस्था द्वारा मान्यता समर्पित किये जाने अथवा संस्था को बन्द किये जाने की सूचना दिये जाने पर शिक्षण संस्थान का नाम मास्टर डाटा से जिला समाज कल्याण अधिकारी//प्रभारी अधिकारी/ नोडल दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना मुख्यालय द्वारा हटाया जायेगा।

(ii) उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सम्बद्धता 30 सितम्बर तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 30 सितम्बर के पश्चात मान्यता/ सम्बद्धता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान एवं पाठ्यक्रमों को आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित किया जायेगा। यदि किसी संस्था को मान्यता निर्धारित तिथि 30 सितम्बर के पश्चात प्राप्त होती है तथा मास्टर डाटा में नाम शामिल किया जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी/ पटल सहायक का होगा।

(iii) मास्टर डाटाबेस में प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों एवं प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों की संख्या एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से स्वीकृत वार्षिक अनिवार्य नान-रिफण्डेबिल शुल्क (फीस) आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) स्तर से उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर निर्धारित तिथि तक स्वयं आनलाइन भरा जायेगा। संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से मान्यता एवं सम्बद्धता तथा सक्षम स्तर से अनुमन्य सीटों से सम्बन्धित आदेश/पत्र आदि पी0डी0एफ0 फाइल के रूप में सम्बन्धित साफ्टवेयर पर शिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध/अपलोड कराये जायेंगे। मास्टर डाटाबेस में शुद्ध डाटा आनलाइन भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा।

(iv) प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय एवं स्थलीय जाँच तथा त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण में संदेह की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क कर संदेह का निवारण कर लेंगे। अभिलेखीय एवं स्थलीय जाँच में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आवश्यक सहयोग भी प्राप्त करेंगे।

प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच एवं त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक प्रभारी/नोडल अधिकारी, दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

(v) मास्टर डाटाबेस में उल्लिखित प्रदेश/जनपद के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों, उनमें वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या आदि विवरण का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा एफिलियेटिंग एजेंसियों/विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा तदोपरांत उनके द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से मास्टर बेस में शिक्षण संस्थान के डाटा को लॉक किया जायेगा।

(Signature)

प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की हार्ड कापी से प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा करके त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। तदोपरान्त प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण को प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से निर्धारित तिथि को लाक किया जायेगा।

10- अनुरक्षण भत्ता की निर्धारित दरें-

- (i) दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के अन्तर्गत समय-समय पर निर्धारित समूहवार पाठ्यक्रमवार अनुरक्षण भत्ता की दर व विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधा व अन्य दरों का जो प्राविधान किया गया है, वह तद्रूप लागू रहेगा, जो संलग्नक परिशिष्ट "क" में अंकित है।
- (ii) उन छात्रों को जो निःशुल्क भोजन और/या निःशुल्क आवास के पात्र हैं व सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं उनको अनुरक्षण भत्ता की दरों का 1/3 अनुरक्षण व्यय दिया जायेगा।

11- वरीयता क्रम का निर्धारण-

- (i) छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु अर्ह छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।
- (ii) सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पहले नवीनीकरण एवं तदोपरान्त नये छात्रों को उनके गत वर्ष के अंकों के घटते हुए क्रम में (अवरोही क्रम) 50 प्रतिशत न्यूनतम अंक की सीमा तक छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि निम्नांकित वरीयता क्रम में बजट की उपलब्धता की सीमा तक निर्धारित अवधि में आनलाइन भरे गये आवेदन पत्रों में से पात्र पाये गये सही डाटा वाले छात्र-छात्राओं को उनके आधार सीड्ड एवं एन0पी0सी0आई0 से मैच बैंक खाते में अन्तरित करके भुगतान की जायेगी:-
- (क)- केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/ निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।
- (ख)- केन्द्र अथवा राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।
- (ग)- निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/ छात्राएँ।
- नोट:- उपरोक्त वरीयता क्रम में ही बजट की उपलब्धता के अनुसार शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि वितरित की जायेगी। एक वरीयता क्रम के समस्त छात्र-छात्राओं को वितरण के पश्चात ही बजट की उपलब्धता की सीमा तक अगले वरीयता क्रम के छात्र-छात्राओं को धनराशि वितरित की जायेगी। यह क्रम उक्त वरीयता श्रेणी-"क" से "ग" तक जारी रहेगा।
- (iii) छात्र/छात्राओं का पाठ्यक्रम में प्रतिशत एक समान होने की दशा में अभ्यर्थी की आयु को वरीयता दी जायेगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/ छात्रा को सबसे पहले वितरण किया जायेगा, तत्पश्चात छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुये क्रम (अवरोही क्रम) में वितरण किया जायेगा।
- (iv) इसके पश्चात भी यदि कई अभ्यर्थी का पाठ्यक्रम में प्रतिशत एवं आयु एक समान होते हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक (A to Z) क्रम में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा।
- (v) छात्र/छात्राओं का पाठ्यक्रम में प्रतिशत, आयु एवं अल्फाबेटिक क्रम में एक समान होने की दशा में "प्रथम आगत प्रथम पावत" के आधार पर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/ छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से किया जायेगा।
- (vi) सर्वप्रथम सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में एक बार वितरित की गयी शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, दिये जाने के प्रथम वर्ष से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक वर्षानुवर्ष 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाते वाले छात्रों को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार बजट की उपलब्धता की सीमा तक नवीनीकृत की जायेगी। नवीनीकरण के पश्चात अवशेष धनराशि ही नये अभ्यर्थियों को वितरित की जायेगी।
- (vii) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्रत्येक छात्र/छात्रा को नियम-11 के उपरोक्त उप नियमों में वर्णित रीति के अनुसार वितरण किया जायेगा बशर्त कि छात्र/छात्रा का आचरण अच्छा रहा हो एवं वह विगत कक्षा में उत्तीर्ण होकर पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में प्रवेश ले लिया हो।
- नोट:- (1) दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत उक्त वरीयता श्रेणी, प्रासांक प्रतिशत, आयु, अल्फाबेटिक आधार अथवा "प्रथम आगत प्रथम पावत" के आधार पर लाभान्वित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि सम्पूर्ण प्रदेश में लाभान्वित होने वाले छात्रों का वरीयता मानक एक समान रखा जाय।
- नोट:- (2) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि तक उक्त समस्त विवरण की हस्ताक्षरित साफ्टकापी (डीवीडी) निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को दो प्रतियों में अभिलेखार्थ उपलब्ध करायी जायेगी।
- नोट:- (3) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा उपलब्ध बजट के अनुरूप प्रतिवर्ष वरीयता क्रम के आधार पर नवीनीकरण एवं नय प्रवेशित छात्र/छात्राओं की अलग-अलग सृजित श्रेणीवार मांग (जनपदवार/बैंकवार) के विवरण की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्ट कापी, छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में धनराशि अंतरित किये जाने हेतु निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (viii) प्रत्येक वर्ष/शैक्षिक सत्र में केवल एक बार समय-सारिणी निर्गत की जायेगी। निर्गत समय-सारिणी के अन्तर्गत छात्रवृत्ति

(शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) का भुगतान नियम-11 (i) से नियम-11 (vii) तक निर्धारित वरीयता के नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

निर्धारित समय-सारिणी के उपरांत किसी कारणवश आनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई जाती है अथवा कुछ दिनों के लिये आनलाइन आवेदन हेतु छात्रवृत्ति का पोर्टल खोला जाता है तो इस व्यवस्था के अन्तर्गत जिन छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन किया जायेगा उनको विलम्बित श्रेणी मानते हुये वरीयता में सबसे नीचे रखते हुये धनराशि की उपलब्धता के आधार पर उक्त नियमों में उल्लिखित वरीयता का पालन करते हुये निर्धारित तिथि के अनुसार छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) का भुगतान किया जायेगा।

12- प्रक्रिया-

(I) इस योजना में अर्ह छात्रों को संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा सशुल्क प्रवेश दिया जायेगा। छात्रों द्वारा प्रवेश के समय संस्था की नियमानुसार शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। इस नियमावली/ योजना में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था नहीं रहेगी। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध बजट के अन्तर्गत एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि नियमानुसार छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खाते में राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रतिपूर्ति (reimburse) की जायेगी।

(II) छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर आनलाइन आवेदन करना होगा।

(III) अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन-पत्र में संलग्न प्रमाण पत्रों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों से शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अर्ह पाये गये आवेदन-पत्रों पर अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी।

1-संस्था प्रमुख/निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य - अध्यक्ष

2-संस्था के वरिष्ठतम प्राध्यापक - सदस्य

3-संस्था के वरिष्ठतम अनु0जाति के प्राध्यापक - सदस्य

अथवा

संस्था के वरिष्ठतम अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक (अनु0 जाति का कोई भी प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में)

अथवा

उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सामान्य श्रेणी का कोई प्राध्यापक (अनु0 जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी प्राध्यापक न होने की दशा में)

(iv) उपरोक्त समिति द्वारा संस्तुत छात्रों का विवरण आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का ही होगा। छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण, गलत या अपूर्ण पाया जाता है, ऐसे छात्र-छात्राओं की संस्था द्वारा समुचित कारण दर्शाते हुये छात्रवृत्ति हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी और अपने स्तर से रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

(V) छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु प्रत्येक जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लाक किये गये विवरण की तथा छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) वितरण सम्बन्धी व अन्य समस्त अभिलेखों का रखरखाव निम्नलिखित स्तरों पर 10 वर्ष तक साफ्टकापी डीवीडी, हार्ड डिस्क एवं हार्ड कापी में सुरक्षित रखी जायेगी।

1-शिक्षण संस्थान स्तर पर:-

(अ)- शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा हेतु आनलाइन भरे गये शिक्षण संस्थान एवं संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता, सम्बद्धता व सीटों की अनुमन्यता एवं सक्षम स्तर से स्वीकृत पाठ्यक्रमवार फीस सम्बन्धी पूर्ण विवरण की संलग्नकों सहित हस्ताक्षरित साफ्टकापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।

(ब)- छात्र-छात्राओं के आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की संलग्नक सहित हार्डकापी/साफ्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।

छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों से सम्बन्धित हस्ताक्षरित साफ्टकापी (डीवीडी) जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी।

2-जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय स्तर:-

1- समस्त शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटाबेस का विवरण जिसमें संस्थानों/ पाठ्यक्रमों की मान्यता व सम्बद्धता, अनुमन्य सीटों की संख्या एवं सक्षम स्तर से अनुमन्य शुल्क तथा सम्बन्धित समस्त शासनादेश/सक्षम स्तर से जारी आदेशों की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्ट कापी डीवीडी, हार्ड डिस्क में।

2- शैक्षिक संस्थावार छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति विषयक आवेदन पत्रों के हस्ताक्षरित संख्यात्मक विवरण की हार्ड एवं साफ्टकापी डीवीडी में।

3- जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति/ वितरण समिति द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति का शिक्षण संस्थावार संख्यात्मक हस्ताक्षरित विवरण (छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि सहित) हार्ड कापी में।

4- छात्रवृत्ति सर्वर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आनलाइन डिजिटल सिग्नेचर से लाक किये गये छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति डाटा से सृजित बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल की हस्ताक्षरित हार्डकापी एवं साफ्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क में। बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल की हार्डकापी पर कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाकार, पटल सहायक, नोडल अधिकारी योजना एवं वित्त नियन्त्रक, निदेशालय द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।

2 in 2020

5- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित जंक एवं सस्पेक्ट डाटा की हस्ताक्षरित साफ्ट एवं हार्डकापी, छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण सहित।

6- शैक्षिक संस्थावार छात्र-छात्रा के खाते में धनराशि अन्तरण के उपरान्त लाभान्वित छात्र-छात्रा के डाटाबेस को सम्बन्धित वेबसाइट से डाउनलोड कर उसकी साफ्टकापी डीवीडी, हार्डडिस्क एवं हार्डकापी (कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाकार, पटल सहायक, नोडल अधिकारी योजना एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा हस्ताक्षरित)।

(vi) विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12) द्वारा शिक्षण संस्था की मान्यता, वैधता एवं वर्गवार अनुमन्य सीटों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या आदि का परीक्षण कर आनलाइन सत्यापन एवं डिजिटल हस्ताक्षर से लाक किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट/डिजीलाकर आदि के माध्यम से छात्रों के आवेदन में उल्लिखित आवश्यक बिन्दुओं पर परीक्षण कराकर शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा सम्बन्धित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) जनपद स्तर पर सामान्य वर्ग की दशमोत्तर अनुरक्षण भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं वितरण हेतु निम्न समिति गठित की जाती है:-

1-जिलाधिकारी	- अध्यक्ष
2-मुख्य विकास अधिकारी	- उपाध्यक्ष
3-मण्डलीय उच्चशिक्षाधिकारी/अथवा नामित प्रतिनिधि	- सदस्य
4-जिला विद्यालय निरीक्षक	- सदस्य
5-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी	- तकनीकी सदस्य
6-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी	- सदस्य
7-जिला समाज कल्याण अधिकारी	- सदस्य सचिव

यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति/ वितरण समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करेगी एवं छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित करायेंगी। जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति वितरण में समय-समय पर आने वाली कठिनाइयाँ/ समस्याओं का निराकरण भी उक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

(viii) (1) एन0आई0सी0 से छात्रों के प्राप्त शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रों का स्थलीय/ अभिलेखीय सत्यापन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र का परीक्षण कर किया जायेगा। अपात्र छात्रों के डाटा को बाहर किया जायेगा। सही व पात्र छात्रों के डाटा पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय कराकर डिजिटल सिग्नेचर से प्रत्येक छात्र का डाटा निर्धारित समयावधि में लाक किया जायेगा। गलत/अपात्र छात्र के डाटा स्वीकृत करने पर अथवा सही/पात्र छात्र के डाटा को अस्वीकृत करने पर अथवा पेंडिंग डाटा को छोड़ने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी/पटल सहायक/ कम्प्यूटर आपरेटर का दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(2) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृत/लाक डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एन0आई0सी0 के माध्यम से मांग जनरेट करायी जायेगी तथा पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति की धनराशि बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्र/छात्रा के आधार सीडेड बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) का होगा।

(3) जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लॉक डाटा में किसी स्तर से बदलाव नहीं किया जायेगा। उक्तानुसार लॉक डाटा के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा नियमावली में वर्णित रीति से डाटा को प्रोसेस कराकर मांग जनरेट की जायेगी। आनलाइन लॉक किये गये डाटा की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की होगी क्योंकि इसी लॉक डाटा के आधार पर ही नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को धनराशि का अन्तरण किया जायेगा।

एन.आई.सी. लखनऊ के परीक्षण के बिन्दु

(ix) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ के स्तर पर जनपदों से प्राप्त छात्र/ छात्राओं के डाटा का परीक्षण (स्क्रूटनी) शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित बिन्दुओं पर की जायेगी।

(X) निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी को पासवर्ड एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका उपयोग करके बेनीफिशरी फाइल जनरेट की जायेगी। उक्त बेनीफिशरी फाइल को PFMS (Public Financial Management System) साफ्टवेयर पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपने PFMS कोड नम्बर द्वारा अपलोड कर सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोपरान्त प्राप्त वैध बेनीफिशरी के अनुसार बिल तैयार कर जवाहर भवन, कोषागार लखनऊ में पारण हेतु प्रस्तुत कर टोकन प्राप्त किया जायेगा। इस ट्रेजरी टोकन नम्बर को छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर फीड करके ट्रान्जेक्शन पर फीड करके ट्रान्जेक्शन फाइल जनरेट की जायेगी, जो PFMS सर्वर पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी, जिसे PFMS द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात विभाग के आहरण वितरण अधिकारी/वित्त नियन्त्रक द्वारा ट्रान्जेक्शन को अप्रुव करने के उपरान्त ट्रान्जेक्शन फाइल पुनः PFMS को प्राप्त होगी। PFMS द्वारा उक्त ट्रान्जेक्शन फाइल को अप्रुव करते हुए ट्रेजरी लागिन पर उपलब्ध कराई जायेगी। तत्पश्चात् कोषाधिकारी द्वारा ट्रान्जेक्शन फाइल अप्रुव किया जायेगा, जिसके उपरान्त छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे अन्तरित हो जायेगी। PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त इनवेलिड बेनीफिशरी जनपदों के लागिन पर रहेगी, जिसे निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत शुद्ध कर

Signature

PFMS सर्वर पर अपलोड करने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा अपनी डिजिटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किया जायेगा। वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी (योजना)/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा PFMS साफ्टवेयर पर पुनः अपलोड कर धनराशि अन्तरण करने की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

(XI) एन0आई0सी0 (राज्य इकाई) द्वारा वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) मुख्यालय के उपयोग हेतु छात्रवृत्ति साफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे दोनो अधिकारियों को संयुक्त रूप से ट्रांजेक्शन फाइल को पीएफएमएस सर्वर पर ट्रांसफर करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(XII) उपरोक्त पयोजन हेतु कोषागार जवाहर भवन तथा भारतीय स्टेट बैंक जवाहर भवन, लखनऊ को नोडल ट्रेजरी/बैंक नामित किया जाता है। जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, वित्त नियंत्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) डिजिटल सिग्नेचर सम्बन्धित अधिकृत संस्था से प्राप्त करेंगे।

(XIII) बैंकों से अवितरित वापस प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा एवं तत्सम्बन्धी समस्त आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय का होगा।

(XIV) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई द्वारा धनराशि अन्तरण से सम्बन्धित विवरण को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर सम्बन्धित जनपद वितरण सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट अपने लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड के माध्यम से जनरेट कर सकेंगे।

13- भुगतान व्यवस्था-

(i) संस्था में अध्ययनरत अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र भरना होगा।

अंतिम तिथि के पश्चात भरे जाने वाले आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ii) निदेशालय के वित्त नियंत्रक/योजना के नोडल अधिकारी द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ के सहयोग से शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि की मॉग सृजित (जनरेट) कराकर तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा साफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध कराई गई बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल द्वारा ही निर्धारित तिथि के अन्दर छात्र/छात्रा के आधार सीड बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय से PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि अन्तरित की जायेगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से सृजित बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल में वित्त नियंत्रक या नोडल अधिकारी (योजना) स्तर से कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर वेबसाइट को राज्य एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा लॉक कर दिया जायेगा। धनराशि के अन्तरण का Reconciliation कार्य उसी वित्तीय वर्ष में वित्त नियंत्रक/सम्परीक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पूर्ण किया जायेगा।

(iii) उक्तानुसार आनलाइन सृजित मॉग के सापेक्ष निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा तक नियमावली में वर्णित वरीयता क्रम के अनुसार कोषागार से PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी (दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं के आधार सीड बैंक खातों में निर्धारित तिथि तक धनराशि अन्तरित कर दी जायेगी।

किसी वित्तीय वर्ष में फेल्ड ट्रांजेक्शन की धनराशि/अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा किया जायेगा। बैंक से फेल्ड ट्रांजेक्शन/अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक एवं आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय का होगा। PFMS (Public Financial Management System)/बैंकों का उत्तरदायित्व होगा कि वे लाभार्थियों के खातों में अन्तरित न होने वाली धनराशि व सम्बन्धित लाभार्थियों एवं उनके खातों का पूर्ण विवरण अन्तरित न होने की तिथि से विलम्बतम 01 माह के अन्दर वित्त नियंत्रक/नोडल अधिकारी (दशमोत्तर अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) समाज कल्याण, निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा देंगे। वित्त नियंत्रक द्वारा उक्तानुसार प्राप्त समस्त धनराशि एवं लाभार्थियों का विवरण लेजर में अंकित कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के अन्तरण का विवरण विश्वविद्यालय/जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिन पर जनपदवार उपलब्ध होगा।

(iv) अनुरक्षण भत्ता 01 अप्रैल अथवा नामांकन के महीने, जो भी बाद में हो, से शैक्षणिक वर्ष के अन्त में उस महीने तक जिसमें परीक्षाएँ पूरी होती हैं, देय होंगे। बशर्त यदि विद्यार्थी किसी महीने के 20 तारीख के बाद नामांकन कराता है तो राशि नामांकन के महीने के बाद आने वाले महीने से दी जायेगी।

(v) गतवर्ष दी गयी छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के मामले में, यदि पाठ्यक्रम जारी रहता है तो छात्रवृत्ति उस महीने के अगले महीने से दी जायेगी, जिस महीने तक गत वर्ष भुगतान की गयी थी।

14- छात्रवृत्ति की अवधि व नवीनीकरण-

(i) छात्र/छात्रा को एक बार दी गयी छात्रवृत्ति उसको दिये जाने के चरण से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक देय होगी बशर्त कि छात्र/छात्रा का आचरण अच्छा रहे। यह छात्रवृत्ति वर्षानुवर्ष नवीनीकृत होगी, परन्तु शर्त यह है कि एक ऐसे पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो अनेक वर्षों तक सतत चलता रहता है, छात्र/छात्रा हर वर्ष विश्वविद्यालय अथवा संस्था द्वारा ली गयी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उच्चतर कक्षा में पहुँचता रहे।

(ii) किसी भी समूह में छात्र के वार्षिक परीक्षा में असफल रहने की स्थिति में उसकी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा। संबंधित छात्र को तब तक अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा, जब तक वह अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत नहीं हो जाता है।

(iii) यदि विश्वविद्यालय/संस्था के विनियमों के अनुसार एक छात्र को अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है, चाहे

र.प.सू.मा.

वह निचली कक्षा में वास्तविक रूप में उत्तीर्ण न हुआ हो, तथा उसके द्वारा निचली कक्षा में कुछ समय पश्चात दोबारा परीक्षा देना अपेक्षित हो, तो यदि वह विद्यार्थी अन्यथा छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो तो वह उस कक्षा में छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा, जिस कक्षा में उसे प्रोन्नत किया गया है।

(iv) नवीनीकरण के प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पंजीकरण क्रमांक भरना अनिवार्य होगा।

15- छात्रवृत्ति के लिये अन्य शर्तें-

(i) छात्रवृत्ति, अभ्यर्थी की संतोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यर्थी स्वयं अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुर्व्यवहार जैसे- हड़ताल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि का दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति संस्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है अथवा रोक सकता है या ऐसी अवधि, जो वह उचित समझे, तक के लिए आगे का भुगतान रोक सकता है।

(ii) अनियमिततायें पाये जाने पर कार्यवाही-

छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निम्नलिखित अनियमिततायें पाये जाने पर सम्बन्धित छात्रों/शिक्षण संस्थानों के संचालकों/प्रधानाचार्यों/ शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों, विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी तथा अन्य संलिप्त कार्मिकों एवं विभागीय/अन्य विभागों के जनपदीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध जांचोपरान्त नियमानुसार सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जायेगी एवं गबन की गयी धनराशि की वसूली उत्तरदायी संस्था/छात्र से 9 प्रतिशत साधारण ब्याज के दर से भू-राजस्व की भांति जिलाधिकारी के माध्यम से करायी जायेगी तथा ऐसे छात्रों एवं शिक्षण संस्थानों को काली सूची में दर्ज कराने व शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही शासन/निदेशालय द्वारा की जायेगी:-

- 1- मास्टर डाटा बेस में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सूचना भरकर सम्मिलित होने पर।
- 2- शिक्षण संस्थान/विद्यालय में छात्र/छात्रा के अध्ययनरत न पाये जाने पर।
- 3- शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के किसी अन्य शिक्षण संस्थान/विद्यालय में अध्ययनरत होते हुये भी अपनी संस्था से छात्र की शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करने पर।
- 4- छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं/माता-पिता अथवा अभिभावक की वास्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने पर।
- 5- छात्र/छात्रा द्वारा झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति प्राप्त करने पर।
- 6- छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु अभिलेखों में कूटरचना/हेराफेरी करके छात्र/शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन सत्यापित व अग्रसारित करने पर।
- 7- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय/शिक्षा विभाग या अन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटरचना/हेराफेरी कर छात्रों की बढी हुई संख्या दर्शाकर छात्रवृत्ति की धनराशि ऐसे छात्रों/ व्यक्तियों के बैंक खातों में अन्तरित कराने अथवा अन्तरित कराने का प्रयास करने पर।
- 8- जिला मजिस्ट्रेट/निदेशक/शासन के द्वारा जांच में गम्भीर अनियमिततायें पाये जाने पर।
- 9- छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त करने के उपरांत छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययन छोड़ देने के उपरांत धनराशि वापस न करने पर।

(iii) छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान, वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी गयी है, छोड़ दिया जाता है तो छात्र को छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता व शुल्क) की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी/ वापस करनी होगी। यदि छात्र दोनों सेमेस्टर की परीक्षा अथवा वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में अनुपस्थित रहता है या परीक्षा/विषयों में उपस्थिति दर्ज कराता है किन्तु सभी विषयों में शून्य अंक प्राप्त करता है तो छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यदि धनराशि भुगतान की गयी है तो छात्र/संस्था को धनराशि वापस करनी होगी।

(iv) छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान, वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी गयी है, छोड़ दिया जाता है तो छात्र को छात्रवृत्ति की धनराशि वापस करनी होगी।

16(1)-(i) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> के माध्यम से ही केवल भरा जायेगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गये फार्म मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन भरा गया आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात एन0आई0सी0 द्वारा लाक किया जायेगा। एन0आई0सी0 द्वारा डाटा लाक किये जाने के उपरांत किसी भी दशा में किसी स्तर पर परिवर्तनीय नहीं होगा। आनलाइन डाटा में छेड़-छाड़ किये जाने पर आई0टी0 एक्ट के तहत सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ii) आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करना-

छात्र/छात्राओं द्वारा अपने भरे गये आवेदन का प्रिन्ट-आउट को समस्त अन्य वांछित डाक्यूमेंट जैसे- आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करते हुये अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्था में सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र आनलाइन Submit करने के उपरान्त समय-सारिणी में निर्धारित कार्य दिवस के अन्दर संस्थान में आवेदन पत्र की हार्डकापी जमा करना आवश्यक है।

(iii) आवेदन पत्र जमा की रसीद प्राप्त करना-

1- संस्थान द्वारा दी जाने वाली प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के प्रिन्ट-आउट के साथ ही प्रिन्ट होगी। संस्थान द्वारा उसी रसीद पर संस्था की मुहर एवं हस्ताक्षर कर छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी।

2- निर्धारित वेबसाइट पर आवेदक अपने जमा किये गये फार्म की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है जिसके

रामभुज

लिये वेबसाइट पर दिये गये "आवेदन की स्थिति जाने" को क्लिक करना होगा एवं स्क्रीन पर अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भरना होगा।

(iv) छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS प्रदान करना-

छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS व ई0-मेल पर छात्रों को विवरण भेजने हेतु विभिन्न स्तरों का चयन निदेशक समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।

(v) छात्रों द्वारा आधार नम्बर आवेदन पत्र में अंकित करना

प्रत्येक छात्र/छात्रा को हाईस्कूल प्रमाण-पत्र पर अंकित नाम एवं जन्म तिथि के अनुसार आधार कार्ड बनवाना होगा। विवाहित पुत्री की स्थिति में आधार कार्ड में पति का नाम व पता आदि अपडेट कराना होगा। छात्रवृत्ति के आनलाइन आवेदन पत्र में आधार ई-के0वाई0सी0 के पश्चात छात्र/छात्रा का समस्त विवरण, बैंक डिटेल विवरण आटोफेच होकर प्रदर्शित होगा।

16(2)- शिक्षण संस्थान के दायित्व-

(i)- शिक्षण संस्था का छात्रवृत्ति हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्था के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। नामित नोडल अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर उसी शिक्षण संस्था के लिए मान्य होगा। एन0आई0सी0 द्वारा प्रत्येक संस्था में डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करने वाले कार्मिकों का लॉग तिथि एवं समय के साथ सुरक्षित रखा जायेगा।

(ii)- शिक्षण संस्था को विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी से निर्धारित अवधि में लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा तथा शिक्षण संस्थाओं के डिजिटल सिग्नेचर को अपने से सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी से रिसेट/ सत्यापित कराया जायेगा।

(iii)- शिक्षण संस्था में डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग करने वाले कार्मिकों की ई-के0वाई0सी0 छात्रवृत्ति की वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर अपडेट करनी होगी।

(iv)- आनलाइन आवेदन हेतु फार्म शासन द्वारा निर्धारित तिथि से वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों के द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र एवं संलग्नकों के आधार पर प्रविष्टियों के मिलान का कार्य जारी रखेंगे। किसी भी दशा में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एक साथ जमा होने का इन्तजार नहीं करेंगे, जितने अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त होता रहेगा उतने की जांच/मिलान करते रहेंगे।

(v)- जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत होगा, उनका डाटा संस्थान द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा, उसको अपने स्तर से reject कर देंगे। शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षण संस्थान के लागिन पर उपलब्ध सम्पूर्ण डाटा पर निर्णय लेकर अग्रसारित या रिजेक्ट कर दिया जायेगा। किसी भी दशा में संस्थान द्वारा डाटा लम्बित नहीं रखा जायेगा।

(vi)- सभी छात्रों को योजना के प्राविधानों एवं शासन द्वारा फार्म भरने एवं जमा करने हेतु नियत की गयी अन्तिम तिथि की जानकारी संस्थान सभी कक्षाओं में उपलब्ध सूचना-संचार माध्यमों यथा- Public address System, Faculty members द्वारा एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये हैंडबिल आदि के माध्यम से अवगत करायेंगे।

(vii)- छात्र/छात्रा को आनलाइन आवेदन करने की सुविधा आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित शैक्षिक संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(viii)- जिन अभ्यर्थियों के विवरण का मिलान संस्था के अभिलेखों/अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र से नहीं होता है अथवा त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, उनकी संस्तुति नहीं की जायेगी अपितु संस्थान स्तर से रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

(ix)- शिक्षण संस्थान द्वारा पात्र छात्र/छात्रा का डाटा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने के बाद आनलाइन सत्यापित विवरण की हार्डकापी छात्रों द्वारा जमा आनलाइन फीडेड आवेदन पत्र के प्रिन्ट-आउट समस्त संलग्नकों सहित सत्यापन प्रमाण पत्र संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना होगा।

(x)- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई लखनऊ द्वारा छात्रों के हाईस्कूल के अनुक्रमांक के आधार पर संस्था के स्तर पर सत्यापन/अग्रसारण के समय प्रत्येक छात्र के सम्मुख गत वर्षों में छात्र को जिस पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति का भुगतान हुआ है, उस कोर्स को प्रदर्शित किया जायेगा। शिक्षण संस्था द्वारा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार पात्र छात्रों का आवेदन अग्रसारित किया जायेगा।

(xi)- शिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रवृत्ति हेतु पात्र अध्ययनरत छात्र अगले वर्ष नवीनीकरण का ही फार्म भरें एवं शिक्षण संस्थान उनके नवीनीकरण का ही फार्म सत्यापित एवं अग्रसारित करेगा। नये छात्र (पाठ्यक्रम के किसी एक वर्ष में असफल छात्र जो बाद में परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, को छोड़कर) के रूप में उनका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(xii)- शिक्षण संस्थान द्वारा नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्रों के नवीनीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक छात्रवार स्पष्ट कारण अंकित किया जायेगा यथा-छात्र परीक्षा में असफल हुआ या शिक्षण संस्थान छोड़कर चला गया आदि कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

(xiii)- संस्था द्वारा छात्र के 75 प्रतिशत उपस्थिति एवं गत वर्ष में प्राप्त अंकों/उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने का अनिवार्य रूप से अंकन/सत्यापन करने के उपरांत आवेदन पत्र आनलाइन अग्रसारित किया जायेगा।

16 (3)-जिला समाज कल्याण अधिकारी के दायित्व

(i)- शिक्षण संस्था द्वारा प्रेषित छात्रों की सूची, समस्त संलग्नकों को पी0डी0एफ0 फाइल की साफ्ट कापी के रूप में संस्थाओं से प्राप्त कर वर्षवार/संस्थावार 10 वर्षों तक सुरक्षित रखना।

रिप्लाय

(ii)- अभ्यर्थी के आय प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र का मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट से रण्डम आधार पर स्वीकृति से पूर्व करना/कराना।

(iii)- अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की हार्डकापी आवश्यकता पड़ने पर संलग्नकों सहित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

(iv)- सक्षम एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर (Digital Signature) प्राप्त कर अभ्यर्थियों के डाटा को निर्धारित अवधि के अन्दर आनलाइन सत्यापित एवं लाक करना।

(v)- आनलाइन डाटा की मानीटरिंग हेतु आयुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षाधिकारी तथा शिक्षण संस्थाओं के साथ मासिक बैठक कराते रहना। यदि किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि तक डाटा का अग्रसारण नहीं प्राप्त हो रहा है अथवा उसके द्वारा छात्रों के आवेदन पत्रों की हार्डकापी नहीं उपलब्ध करायी जा रही है तो उक्त संस्थान के प्राचार्य/ प्रधानाचार्यों को बैठक में बुलाकर निर्धारित अवधि के अन्दर सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे, जिन जनपदों में विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी स्थित है उनके छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों को भी बैठक में अनिवार्य रूप से बुलाया जायेगा।

(vi)- छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत कराना एवं कार्यवृत्त तैयार कर जारी कराना। निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध जिलाधिकारी के माध्यम से कठोर कार्यवाही कराने का उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का ही होगा।

(vii)- जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ-साथ छात्रवृत्ति योजना का कार्य देख रहे सम्बन्धित पटल सहायक के डिजिटल सिग्नेचर से संयुक्त रूप से मास्टर डाटा एवं अन्य डाटा को लॉक करने आदि की कार्यवाही की जायेगी।

16 (4)-सम्बन्धित शिक्षा विभागों का दायित्व-

(i) आनलाइन डाटा अग्रसारण की मानीटरिंग हेतु जनपद में आयोजित बैठकों में शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य/प्रधानाचार्य के साथ उपस्थित रहकर कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कराना। शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति करना।

(ii) शिक्षा अधिकारी द्वारा मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थानों की मान्यता, बैधता तिथि, वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या एवं उसके सापेक्ष प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या आदि का सत्यापन कर डिजिटली सिग्नेचर से लाक किया जाना।

(iii) शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापनोपरान्त शिक्षण संस्था के विवरण की हार्डकापी निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

(iv) शिक्षण संस्था द्वारा मिसिंग छात्रों के संबंध में आनलाइन अंकित किये गये कारणों के आधार पर संबंधित शिक्षण संस्थाओं की रण्डम जांच कराना तथा अनियमितता पाये जाने पर संबंधित शिक्षण संस्था की मान्यता निरस्त करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना।

16 (5)-राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के दायित्व-

(i) शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं प्रक्रिया के अनुसार आनलाइन साफ्टवेयर तैयार कराना।

(ii) शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उनके लागिन के माध्यम से संस्थाओं के लिये लागिन आईडी0 एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने हेतु सुविधा प्रदान करना।

(iii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ एवं निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा पासवर्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा डिजिटल सिग्नेचर रिसेट करना।

(iv) एन0आई0सी0 द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारियों के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक को तथा निदेशालय के माध्यम से विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी को लागिन पासवर्ड प्राप्त कराना तथा डिजिटल सिग्नेचर रिसेट/सत्यापित करना।

(v) राज्य स्तर पर स्कूरटनी में निदेशक, समाज कल्याण विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

(vi) आनलाइन आवेदन भरने से लेकर धनराशि अन्तरण तक में आने वाली समस्त तकनीकी समस्याओं का निराकरण कराना।

(vii) आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के 15 दिनों के अन्दर नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्रों के सापेक्ष मिसिंग छात्रों की जानकारी स्कॉलरशिप पोर्टल पर आनलाइन प्रकाशित करना।

16 (6)-विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी/परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी के उत्तरदायित्व-

(i) दशमोत्तर छात्रवृत्ति कार्य हेतु सभी विश्वविद्यालयों/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा नामित नोडल अधिकारी, सम्बन्धित अधिकृत संस्था से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त कर मास्टर डाटा को सत्यापित कर लाक करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर बनाने वाली एजेंसी/ कार्मिक का विस्तृत विवरण पत्रावली में सुरक्षित रखना होगा।

(ii) सभी विश्वविद्यालयों/एफिलियेटिंग एजेंसी एवं परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत यथाशीघ्र परीक्षाफल को छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए डिजिटल सिग्नेचर से लाक किया जायेगा।

(iii) नोडल अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर से मास्टर डाटा में संस्था से सम्बन्धित विवरण का सत्यापन कर डाटा लाक करेंगे।

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र को पंजीकरण क्रमांक निर्गत किया जायेगा तथा नवीनीकरण के प्रत्येक छात्र के लिये विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पंजीकरण क्रमांक भरना अनिवार्य होगा।

(v) विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी तथा अपने से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम, का प्रकार (नियमित/स्ववित्त पोषित) स्वीकृत छात्र संख्या, निर्धारित फीस की आधिकारिक पुष्टि नामित अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से किया जायेगा।

रूपमात्रा

(vi) जिन महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध अनियमितताओं के प्रमाणित होने पर उनको काली सूची में डालने की कार्यवाही की जाती है, ऐसे शिक्षण संस्थानों की सम्बद्धता/मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही प्रत्येक विश्वविद्यालय/मान्यता प्रदाता संस्थान द्वारा एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जायेगी।

17- जनपद स्तर पर अनुश्रवण।

(i) छात्रवृत्ति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती है:-

(1) जिलाधिकारी-	अध्यक्ष
(2) मुख्य विकास अधिकारी-	उपाध्यक्ष
(3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी-	सदस्य
(4) जनपद में स्थित रा0 विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, यदि कोई हो -	सदस्य
(5) जनपद में स्थित रा0 मेडिकल कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो-	सदस्य
(6) जनपद में स्थित रा0 इंजी0 कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो -	सदस्य
(7) जनपद में स्थित किसी एक राजकीय पालीटेक्निक के प्राचार्य, यदि कोई हो-	सदस्य
(8) जिला विद्यालय निरीक्षक -	सदस्य
(9) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC)-	सदस्य
(10) जिला समाज कल्याण अधिकारी-	सदस्य/सचिव

(ii) उक्त समिति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के मास्टर डाटा में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों तथा उनके शुल्क संरचना व शुल्क निर्धारण का स्वविवेक से सत्यापन करायेंगी तथा व्यवसायिक, तकनीकी एवं चिकित्सा आदि के किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों का सम्बन्धित विश्वविद्यालय/कालेज में हुआ नामांकन तथा पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष में परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की संख्या एवं परीक्षाफल आदि का सत्यापन करेगी। अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठक तीन माह के निर्धारित अन्तराल पर की जायेगी तथा कृत कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) उक्त समिति निम्नलिखित मामलों में शत-प्रतिशत सत्यापन करायेंगी-

क- पाठ्यक्रमवार कुल अनुमोदित सीटों के सापेक्ष किसी भी पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत से अधिक सामान्य वर्ग के छात्रों का प्रवेश लेने वाली निजी क्षेत्र की संस्थायें।

ख- जिन निजी क्षेत्र की संस्थाओं की विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत कुल शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग एक करोड़ रुपये या उससे अधिक हो।

ग- उक्त के अतिरिक्त समिति स्वविवेक से रैंडम आधार पर अथवा शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी शैक्षिक संस्था की जांच अथवा सत्यापन करा सकेगी।

(iv) छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि के अन्तरण उपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिलाधिकारी द्वारा समस्त निजी शिक्षण संस्थानों के प्रोफेशनल व नॉन प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत कम से कम 05 प्रतिशत छात्र/छात्राओं में धनराशि वितरण का भौतिक सत्यापन/जांच सुनिश्चित करायी जायेगी। छात्र/छात्राओं के रैंडमली चयन हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई द्वारा छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली साफ्टवेयर में आवश्यक विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा जिसके माध्यम से जांच हेतु जिलाधिकारी छात्र/छात्राओं, शिक्षण संस्थानों की सूची रैंडम विधि से जनरेट करेंगे तथा उक्त सूची में अंकित शिक्षण संस्थानों के छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन करायेंगे और अनियमितता पाये जाने पर नियमावली के नियम-15 (ii) के अनुसार तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(v) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की विद्यालयवार सृजित मांग एवं वितरित धनराशि के अभिलेखों/पंजिकाओं को पूर्ण कराने एवं अनुरक्षण करने, बुक कीपिंग व रिकार्ड कीपिंग, वितरित की गयी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण वेबसाइट पर अपलोड कराने तथा विभागीय/महालेखाकार द्वारा आडिट कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।

18- प्रदेश के बाहर दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के वितरण की प्रक्रिया।

अन्य प्रान्तों में स्थित शासकीय तथा शासकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा:-

1- प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिये दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी उपरोक्तानुसार ही होगी।

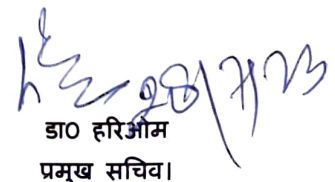
2- छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन निर्धारित प्रारूप पर भरा जायेगा। छात्र/छात्रा द्वारा समस्त प्रविष्टियों को आनलाइन सही-सही भर कर उसका प्रिन्ट आउट लिया जायेगा। डाटा की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा। आनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ समस्त संलग्नको सहित सम्बन्धित शिक्षण संस्था में निर्धारित अन्तिम तिथि तक छात्र/छात्रा द्वारा जमा किया जायेगा जिसकी पावती निर्धारित शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी।

3- छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये आनलाइन आवेदन पत्र में अंकित सूचना को अभिलेखों के आधार पर संस्था द्वारा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित किया जायेगा तथा आनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी पर संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित एवं संस्तुत करते हुए सत्यापन प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के स्थायी निवास के जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित अन्तिम तिथि तक उपलब्ध कराया जायेगा।

रिपब्लिक

- 4- शिक्षण संस्थानों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं अगसारित डाटा को निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा एन.आई.सी. (स्टेट यूनिट) लखनऊ के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक विभिन्न परीक्षा नियन्त्रक संस्थाओं/विभागों यथा- यू.पी.टी.यू., ए.आई.सी.टी.ई., यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई., एम.सी.आई. विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षा परिषदों तथा बोर्ड आफ टेक्निकल एजुकेशन एवं बोर्ड आफ रेवेन्यू आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से मिलान एवं समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा को आपस में मिक्स कर डुप्लीकेट डाटा की छंटनी एवं परीक्षण कराकर शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा पृथक-पृथक, छात्र के मूल निवास जनपद की छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ जिला समाज कल्याण अधिकारी के लागिन पर उपलब्ध होगा।
- 5- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उक्तानुसार प्राप्त प्रत्येक छात्र/ छात्रा के विवरण को जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के आनलाइन आवेदन पत्र एवं संलग्नकों की हार्ड कापी के साथ प्रस्तुत कर स्वीकृति/अस्वीकृति प्राप्त किया जायेगा। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति से पूर्व छात्र/छात्रा के विवरण की हार्ड कापी से आवश्यक मिलान अपने स्तर से रेण्डमली करायेंगी।
- 6- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से डाटा को आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किया जायेगा।
- 7- जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एन0आई0सी0 (स्टेट यूनिट) लखनऊ से विकसित आनलाइन साफ्टवेयर द्वारा मांग जनरेट करायी जायेगी, जो निदेशालय के लागिन पर उपलब्ध हो जायेगी।
- 8- जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिन पर उक्तानुसार उपलब्ध शुद्ध एवं जंक डाटा के अभ्यर्थियों की सूची एवं शिक्षण संस्थान से प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की हार्डकापी संलग्नकों सहित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करते हुए छात्रों की सूची की हार्डकापी एवं नोटशीट पर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- 9- तदोपरान्त बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति की धनराशि निदेशालय के वित्त नियन्त्रक द्वारा कोषागार से PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार छात्र/ छात्रा के आधार सीडेड बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना) का होगा।
- 10- छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में धनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक द्वारा किया जायेगा।
- 11- अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत नवीनीकरण वाले एवं नये छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वितरण हेतु चयन की प्रक्रिया, वरीयता क्रम निर्धारण, PFMS प्रणाली से धनराशि के अन्तरण की प्रक्रिया, फेल्ड ट्रांजक्शन एवं अवितरित धनराशि के रिसीट हेड में जमा करने के नियम व प्रक्रिया आदि प्रदेश में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु निर्धारित नियम व प्रक्रिया के अनुसार ही रहेगी।
- 19- **नोट-1** सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में विधान मण्डल द्वार आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि की सीमा तक नियमावली के प्राविधानों/शर्तों को पूर्ण करने वाले पात्र छात्रों को विहित वरीयता श्रेणी नियम-11 के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। योजनान्तर्गत धनराशि समाप्त होने पर यदि पात्र छात्र की देयता लम्बित रहती है तो वह देयता अगले वित्तीय वर्ष अग्रणीत नहीं की जायेगी।
- नोट-2:-** वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्विनियोग के माध्यम से अथवा राज्य के सीमित वित्तीय संसाधन के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से अतिरिक्त प्राविधान कराया जा सकता है।
- (क)- निदेशालय समाज कल्याण/ राज्य स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु योजनाधिकारी, छात्रवृत्ति, मुख्यालय (संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक स्तर का अधिकारी) को स्टेट ग्रेवान्स रिड्रेसल आफिसर नामित किया जाता है।
- (ख)- मण्डल स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु मण्डलीय उप निदेशक को मण्डलीय ग्रेवान्स रिड्रेसल आफिसर नामित किया जाता है।
- (ग)- जनपद स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी को जनपदीय ग्रेवान्स रिड्रेसल आफिसर नामित किया जाता है।
- 20- **संशोधन का अधिकार-**
इस नियमावली के प्राविधानों में यथावश्यक संशोधन करने एवं किसी भी कठिनाई का निवारण करने की शक्ति मा0 मुख्यमंत्री जी में निहित होगी।
- 21- **न्यायालय परिक्षेत्र-**
किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय परिक्षेत्र मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश होगा।

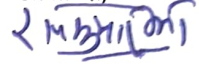
कृपया तदनुसार कड़ाई से अनुपाल सुनिश्चित किया जाय।


डा० हरिओम
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, 30प्र० शासन।
- 2- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री (स्व०प्र०) समाज कल्याण विभाग, 30प्र० शासन।
- 3- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग, 30प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग, 30प्र० शासन।
- 5- महालेखाकार, 30प्र० इलाहाबाद।
- 6- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, 30प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई-मेल के माध्यम से भेजे तथा समाज कल्याण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
- 7- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ 30प्र०।
- 8- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, 30प्र०।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, 30प्र०।
- 11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, 30प्र० शासन।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(राज कुमार झा)
अनु सचिव।

सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शैक्षणिक भत्ते की दरें

समूह	पाठ्यक्रम	हास्टलर (वार्षिक)	डे-स्कालर (वार्षिक)
I	एम0फिल0, पी0एच0डी0, बी0टेक0, एम0बी0बी0एस0 आदि डिग्री मारटर डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम	13500	7000
II	एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0काम0, फार्मेसी नर्सिंग आदि डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट	9500	6500
III	बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0काम0 तथा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह-1 व 2 में न हों आदि	6000	3000
IV	कक्षा 11-12, आई0टी0आई0, समस्त नान स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम जिनमें न्यूनतम प्रवेश योग्यता हाईस्कूल हो आदि	4000	2500

राजेश्वर

आधार बेरुड बायोमैट्रिक अटेण्डेंस लागू किये जाने हेतु दो चरणों का विवरण

प्रथम चरण (वित्तीय वर्ष 2023-24)

- डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध संस्थान।
- स्टेट मेडिकल फैकल्टी से सम्बद्ध संस्थान।
- उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड से सम्बद्ध संस्थान।
- उत्तर प्रदेश आयुर्वेद योगा, यूनानी, तिब्बती बोर्ड से सम्बद्ध संस्थान।
- समस्त राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध बी०एड० पाठ्यक्रम वाले संस्थान।
- समस्त निजी विश्वविद्यालय।

द्वितीय चरण (वित्तीय वर्ष 2024-25)

- राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कैम्पस व सम्बद्ध संस्थान।
- परीक्षा नियामक प्राधिकारी से सम्बद्ध संस्थान।
- प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध संस्थान।
- समस्त राजकीय आटोनॉमस विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थान।
- समस्त डीम्ड विश्वविद्यालय।
- शेष अन्य शिक्षण संस्थान।

सुभाष